

23/7/16

अचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (धनबाद)

जमाबंदी रद्द अभिलेख वाद सं- 201 / 2016-17

वाद का प्रकार - बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1956 की धारा 4(b) के तहत जोड़ एवं कवरगाई से संबंधित।

23/7/16

झारखण्ड सरकार के ज्ञापक-2074/200, दिनांक 13.05.2010 सहस्रदित श्री अनुमति मुखजी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राज्य एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं-3-ख/म/निधि-119/85/2308/रा, दिनांक 03.09.1985 एवं सहस्रदित संज्ञक सं-914/रा, दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजसूआ खास भूमि को कायम की गयी जमाबंदियों की जीत प्रारम्भ की गई। जोड़ के काम में हल्का कर्मचारी एवं अचल निरीक्षक द्वारा प्रतिबंधित किया गया है कि निम्नांकित विवरणों की भूमि -

मौजा बलियापुर थाना नं० 62 प्लॉट नं० 143-62 प्लॉट सं० 62

एकड़ 0.33 एकड़ भूमि जो गैरमजसूआ खास अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उक्त मौजा के पंजी-11 पर जमाबंदी रैयत गोपाल महतो पितृ बाबू राम महतो के नाम से कायम है।

सब वसति

हल्का कर्मचारी एवं अचल निरीक्षक द्वारा जोड़/अर्जन एवं कवरगाई विवरणों की भूमि पर विरुद्ध कायम जमाबंदी को सदिग्ध प्रतिबंधित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जोड़ प्रत्येकन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अर्थात् बन्दोबस्ती के आधार पर/अर्थात् काढकर बन्दोबस्ती के आधार पर/अर्थात् समस्त निरीक्षण के आधार पर/संज्ञक हुजूमनामा के आधार पर कायम की गई है जितका उद्देश्य निजी स्वाम एवं राज्य को क्षति कारित करना है।


प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणों की जमीन की सुविधा जमाबंदी अर्थात् प्रतीत होती है जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1956 की धारा 4(b) के तहत जोड़ किया जाना वाञ्छनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निम्न तौर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की भाग कर तथा अन्यथा कानून पुरखा करे कि क्या उक्त जमाबंदी का अर्थात् मानते हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1956 की धारा 4(b) के तहत सक्षम अधिकार की रद्द करने हेतु अनुपस्थित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 23/7/16 को तयस्थिति करें।

लेखापित एवं समोचित

अचल अधिकारी
बलियापुर।


23/7/16
अचल अधिकारी
बलियापुर।

नोटिस वागिना हेतु प्राप्त।
23/7/16

9/8/16

अभिलेख उपस्थापित किया गया। नोटिश तामिला के पश्चात् प्राप्त हुआ। जमाबन्दी रैयत से वंशज द्वारा न्यायलय में उपस्थित होकर लगान रशीद/दलील/खतियान एवं अन्य कागजात की छाया प्रति समर्पित किये हैं। परन्तु उनके द्वारा उपरोक्त भूमि से संबंधित किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित नहीं किया गया है, जो उनकी दावे की पुष्टि करता हो।

अतः ऐसी परिस्थिति में संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा ककी जाती हैं

अग्रतर कार्रवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता धनबाद को भेजे।

अंचल अधिकारी,
बलियापुर।

अचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर २

आद अमिलेख संख्या- 20 / 2016 (अन्तर्गत धारा-4(h), B.L.R Act, 1950)

सूचना

नाम- _____

गोपाल शर्मा, 110 वाफ्सा नं. 11

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि नीचा- _____ थाना नं- _____

खता नं- _____ खेत्ता नं- _____ रकबा- _____ से संबंधित आपके नाम से

80 नं- _____ के पंजी- II भाग के पृष्ठ- 110/111 के अंतर्गत जमाबंदी प्रथम 1882

राजस्व जमाबंदी में अचल निरीक्षक के नियम से जांचोत्तरावत सुधार प्रविष्टित किया है।

अतः आप उक्त सवध में दिनांक- 01/8/16 को सांठ- 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त

भूमि का रिकॉर्ड- भूमि बढावस्ती से संबंधित हुकुमनामा मूलापूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, कामें M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठास सवधों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अपेक्षितकारी के कार्यालय प्रकाश में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सन्दर्भ है कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त सवध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त दस्तावेज/सवधों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए राज जमाबंदी के सवध में पुक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिबन्धत अनुसूसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जाने।

तिथि- 06/8/16

स्थान- _____

अचल अधिकारी

बलियापुर २

06/8/16

पुष्टिकर भरणे- 04/08/16

नीलिष बलियापुर सीमा
06/8/16